न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : रोहित गुप्ता, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –51 / 2016 (आव.व.अधि)

सरकार जर्ये अमित शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक , कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

श्री भवानी शंकर पुत्र श्री बाबूलाल निवासी वीर सावरकर नगर रंगबाडी कोटा मैसर्स श्रीनाथ कढी कचौरी नार्कोटिक्स रोड महावीर नगर –1 कोटा

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 05.10.2017

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अमित शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि दिनांक 09.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक की रोकथाम हेतु गठित जांच दल (श्री अशोक सांगवा, जिला रसद अधिकारी एवं श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी , श्री अमित शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक व श्री विनोद कुमार प्रवर्तन निरीक्षक) के द्वारा महावीर नगर कोटा मे स्थित मैसर्स श्रीनाथ कढी कचौरी नार्कोटिक्स रोड महावीर नगर –1 कोटा की आकस्मिक जांच की गई ।

वक्त मौका दुकान पर मौजूद मालिक श्री भवानी शंकर पुत्र बाबूलाल उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को दुकान का मालिक होना जाहिर किया । श्री भवानी शंकर की उपस्थिति में दुकान की जांच की गई । जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग ग्राहको के लिए पोहे, कढी, कचौरी, समौसा, नमकीन बनाकर कीमतन बिकी की जा रही थी । दूकान परिसर में तलाशी के दौरान पाये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

S.N.	S.R.No.	Co.	T.W.	G.W	N.W. Gas
1-	003487 P	IOC	15.4	17.9 Kg	4.5 Kg

उक्त जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को मौके पर ही मैसर्स श्री गैस एजेन्सी कोटा के कर्मचारी श्री नन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह को सुपुर्दगी मे दिये गये सुपुर्दगी नामा अलग से तैयार किया गया । इस प्रकार श्री भवानी शंकर पुत्र बाबूलाल द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है । अतः उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उनमें भण्डारित एल.पी.जी. को राजसात करने के आदेश फरमावें । साथ ही जप्तशुदा गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी.लीक हो सकने के कारण गैस सिलेण्डर का अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 बी के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य मे [illegible] मे घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही करना जाहिर किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया दिनांक 09.03.2016 को अवैध घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु गठित जांच दल के द्वारा महावीर नगर । कोटा स्थित मेसर्स श्रीनाथ कढी कचौरी नार्कोटिक्स रोड महावीर नगर –। कोटा की आकस्मिक जांच में जांच के दौरान दूकान में घरेलू गैस के सिलेण्डर का उपयोग कर ग्राहको के लिए पोहे, कढी, कचौरी,समोसा, नमकीन बनाकर कीमतन बिक्री किया जाना फर्द चेकिंग से जाहिर आया जो जब्त सरकार किया गया । फर्द चेकिंग व जब्ती का अवलोकन किया फर्द जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है । अप्रार्थी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य मे दुकान मे घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही करना जाहिर किया गया ।

इस प्रकार श्री भवानी शंकर पुत्र श्री बाबूलाल निवासी वीर सावरकर नगर रंगबाडी कोटा मैसर्स श्रीनाथ कढी कचौरी नार्कोटिक्स रोड महावीर नगर –1 कोटा द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (बी), 4(1) (ए), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है ।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत सीज्ड माल 01 (एक) घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित गुप्ता)
जिला कलेक्टर, कोटा